

**लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 151वीं बैठक दिनांक
16 जनवरी, 2014 का कार्यवृत्त**

उपस्थिति :

- | | | |
|-----|---------------------------|--|
| 01. | श्री संजीव सरन | अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ। |
| 02. | श्री एम0पी0 अग्रवाल | उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 03. | श्री आर0के0 सिंह | नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ। |
| 04. | श्री एस0के0 ज़मा | मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश। |
| 05. | श्री संजय कुमार सिंह यादव | अपर जिलाधिकारी, प्रतिनिधि-जिलाधिकारी, लखनऊ। |
| 06. | श्री मनमोहन मिश्र | अपर निदेशक, प्रतिनिधि-निदेशक. कोषागार, लखनऊ। |
| 07. | श्री पी0के0 सिन्हा | मुख्य अभियंता, जल निगम, लखनऊ। |
| 08. | श्री जी0एस0 गोयल | मुख्य वास्तुविद, प्रतिनिधि-आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ। |
| 09. | श्री विजय सिंह यादव | सदस्य, ल0वि0प्रा0 |
| 10. | श्रीमती मुन्नी पाल | सदस्य, ल0वि0प्रा0 |

अन्य उपस्थिति :

- | | | |
|-----|-----------------------------|------------------------------|
| 15. | श्री अष्टभुजा प्रसाद तिवारी | सचिव, ल0वि0प्रा0। |
| 16. | श्रीमती सीमा सिंह | अपर सचिव, ल0वि0प्रा0। |
| 17. | डा0 मोहन यादव | वित्त नियंत्रक, ल0वि0प्रा0। |
| 18. | श्री डी0आर0 यादव | मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0। |
| 19. | श्री आर0एन0 सिंह | मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0। |
| 20. | श्री जे0एन0 रेड्डी | मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0 |

५

Q

12

उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया, तत्पश्चात् उपस्थित सदस्यों के औपचारिक परिचय के उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

विषय संख्या : 1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 07.06.2013 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। किसी भी सदस्य द्वारा कार्यवृत्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं करायी गयी है। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

विषय संख्या : 2 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 07.06.2013 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय : प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

विषय संख्या : 3 चक गंजरिया फार्म, लखनऊ की भूमि के वैकल्पिक उपयोग के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-895/आठ-1-13-40विविध/2013 दिनांक 09.04.13 के माध्यम से शासन स्तर पर लिये गये निर्णय के क्रम में लखनऊ महायोजना 2021 व विस्तारित विकास क्षेत्र हेतु प्रस्तावित महायोजना में भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि।

निर्णय : परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गयी।

विषय संख्या : 4 चक गंजरिया फार्म लखनऊ की भूमि के वैकल्पिक उपयोग के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-895/आठ-1-13-40विविध/2013 दिनांक 09.04.13 के माध्यम से शासन स्तर पर लिये गये निर्णय के क्रम में भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि।

निर्णय : परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गयी।

विषय संख्या : 5 लखनऊ विकास प्राधिकरण के 02 अदद निष्प्रयोज्य वाहनों को नीलाम करने एवं अधिकारियों के प्रयोग हेतु 02 अदद नई अम्बेसडर पेट्रोल कार क्रय किये जाने से सम्बन्धित परिचालन द्वारा

पारित प्रस्ताव की पुष्टि एवं 01 अन्य पुरानी जिप्सी को निष्प्रयोज्य घोषित कर 01 अदद नई अम्बेसडर/माखुति कार क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि करते हुए एक अन्य पुरानी निष्प्रयोज्य जिप्सी के स्थान पर एक अदद नई अम्बेसडर/माखुति कार क्रय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 6

महायोजना-2021 के अन्तर्गत सुल्तानपुर रोड पर ग्राम-अहमामऊ में 45 मी० चौड़ी महायोजना मार्ग के भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव की कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा महायोजना-2021 में सुल्तानपुर रोड पर ग्राम-अहमामऊ में 45 मी० चौड़ी मास्टर प्लान रोड के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की योजना हेतु 2.737 हेक्टेअर भूमि के अधिग्रहण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 7

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 के पत्र संख्या-3292/आठ-1-13 -27एलडीए/13 दिनांक 19.11.13 के क्रम में लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन हेतु प्राधिकरण के अंश रुपये-100.00 करोड़ के भुगतान के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 के पत्र संख्या-3292/आठ-1-13-27एलडीए/13 दिनांक 19.11.13 के क्रम में अवस्थापना विकास निधि से लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन हेतु प्राधिकरण के अंश रुपये-100.00 करोड़ हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 8

शालीमार के०एस०एम०बी० प्रोजेक्ट द्वारा सीतापुर-हरदोई बाईपास मार्ग पर स्थित धैला व अलीनगर के अन्तर्गत लगभग 29.24 हे० भूमि पर आवासीय योजना के तलपट मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा शालीमार के०एस०एम०बी० प्रोजेक्ट द्वारा ग्राम-धैला व अलीनगर के सीतापुर-हरदोई बाईपास मार्ग पर स्थित 29.24 हेक्टेअर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय योजना के विन्यास मानचित्र को प्राधिकरण की तकनीकी समिति द्वारा उल्लिखित प्रतिबन्धों के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 9

ग्राम-मस्तेमऊ के 17 एकड़ भूमि पर भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि चूंकि अभी मास्टर प्लान रोड का एलाइनमेंट अंतिम नहीं हुआ है, अतः लखनऊ विस्तारित क्षेत्र के मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिये जाने के उपरान्त ही प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना औचित्यपूर्ण होगा।

विषय संख्या : 10

गोमती नगर विस्तार सेक्टर-6 के पूर्वी ओर स्थित क्षेत्र को 18.00 मी0 चौड़े मार्ग को उपलब्ध कराने के क्रम में सेक्टर-6 के विन्यास मानचित्र के संशोधन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर विस्तार योजना के शहीद पथ के पूर्वी ओर स्थित क्षेत्र को पहुँच हेतु सेक्टर-6 में विकसित विद्यमान 10 मी0 चौड़े मार्ग को 18 मी0 में चौड़ीकरण हेतु विन्यास मानचित्र में आवश्यक संशोधन किये जाने हेतु उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 के प्राविधानों के अनुसार जनसाधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। आपत्तियों की सुनवाई के उपरान्त संशोधित ले-आउट प्लान आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय संख्या : 11

ग्राम-मुतक्कीपुर व अल्लूनगर डिगुरिया, जिला-लखनऊ की भूमि को “नगर केन्द्र” (व्यावसायिक) भू-उपयोग से “आवासीय” भू-उपयोग में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा ग्राम-मुतक्कीपुर व अल्लूनगर डिगुरिया, जिला-लखनऊ की भूमि को ‘नगर केन्द्र’ (व्यावसायिक) भू-उपयोग से ‘आवासीय’ भू-उपयोग में परिवर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु शासन को प्रेषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 12

गोमती नगर लखनऊ में निर्मित सी0एस0आई0 टावर्स की तर्ज पर एक और टावर के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा सी0एस0आई0 टावर्स से लगी 3.50 एकड़ भूमि जो लखनऊ महायोजना 2021 के अन्तर्गत ‘हरित पट्टी’ दर्शित है, को परिवर्तन शुल्क/भूमि मूल्य प्राप्त करते हुए ‘आवासीय’ में परिवर्तन किये जाने हेतु प्रस्ताव उ0प्र0 नगर

योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु शासन को प्रेषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 13

गोमती नगर आवासीय योजना के अन्तर्गत अनार्जित भूमि खसरा सं०-952/03 स्थित ग्राम-उजरियांव की भूमि के समायोजन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव पर समायोजन के सम्बन्ध में सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए यह निर्णय लिया गया कि प्रथमतः प्रश्नगत प्रकृति के अनार्जित भूमि के प्रकरणों पर शासन स्तर से नीतिगत मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया जाये कि अनार्जित भूमि का कितना प्रतिशत समायोजन में दिया जायेगा ताकि ऐसे प्रकरणों के निस्तारण में एकरूपता बनी रहे। तदन्तर प्रकरण पुनः आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

विषय संख्या : 14

ग्राम-सेमरागढ़ी, सीतापुर रोड, लखनऊ की भूमि खसरा सं०-201, 204, 205, 218, 220, 222 एवं 223 का भू-उपयोग "आवासीय" से "सामुदायिक सुविधाएं, उपयोगिताएं एवं सेवाएं (डेन्टल कालेज)" में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। यह प्रस्ताव पूर्व बैठक दिनांक 09.04.2012 में भी प्रस्तुत हुआ था। परन्तु विचारोपरान्त निरस्त कर दिया गया था। प्रकरण पर मा० उच्च न्यायालय एवं प्रमुख सचिव, आवास के आदेश के क्रम में अपर जिलाधिकारी-नगर (टी०जी०) द्वारा प्राधिकरण के अभियन्ताओं के साथ स्थल निरीक्षण किया गया था। प्रस्तावित महायोजना मार्ग ग्राम-गढ़ी के आंशिक भाग से होकर भी गुजरता है, जिस पर काफी पुराने निर्माण हैं। अस्तु महायोजना मार्ग का निर्माण सम्भव नहीं होने के फलस्वरूप प्रस्तावित वैकल्पिक मार्ग पर विचार किया गया। इस वैकल्पिक मार्ग पर भी काफी संख्या में निर्माण विद्यमान हैं, जिनके ध्वस्तीकरण में विभिन्न प्रकार की समस्याएँ यथा अर्जन, प्रतिकर, वित्तीय व्यवस्था एवं वाद आदि स्वभाविक हैं। इसके उपरान्त भी अधिकतम 12 मी० चौड़ा पहुँच मार्ग ही प्राप्त हो सकता है एवं इससे प्राधिकरण की किसी योजना को कोई लाभ भी नहीं होने वाला है, जबकि निर्धारित मापदण्ड के अनुसार डेन्टल कालेज के लिए पहुँच मार्ग कम से कम 24 मी० चौड़ा होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि पक्ष द्वारा स्वयं भी आवासीय भू-उपयोग का उल्लंघन करते हुए प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये डेन्टल कालेज का अनाधिकृत निर्माण भू-उपयोग के विरुद्ध किया गया है और कालेज

५५




तक पहुँच मार्ग की उपलब्धता को भी दृष्टिगत नहीं रखा गया है। अतः वर्णित परिस्थितियों में पूर्व में निरस्त किये गये प्रस्ताव पर पुनर्विचार किये जाने का कोई औचित्य न पाये जाने के फलस्वरूप प्रस्तुत प्रस्ताव निरस्त किया जाता है।

विषय संख्या : 15

सीतापुर-हरदोई बाईपास रोड पर आई0आई0एम0 के निकट इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत मेसर्स एल्लिको सिटी प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तुत संशोधित विस्तृत ले-आउट प्लान (133.07 एकड़) के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा विकासकर्ता मेसर्स एल्लिको सिटी प्रा0लि0 द्वारा पूर्व स्वीकृत 111.78 एकड़ की टाउनशिप के स्थान पर 133.07 एकड़ की टाउनशिप के संशोधित विन्यास मानचित्र की स्वीकृति से सम्बन्धित प्रस्ताव संस्तुति सहित शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 16

खसरा संख्या-36स, ग्राम-विजईपुर, लखनऊ पर स्थित अलीज इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन की भूमि/निर्माण के समायोजन के संबंध में।

निर्णय :

सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा शासनादेश संख्या-5696/8-3-2007-161एल0एम0/2001 दिनांक 06 अगस्त 2008 एवं पत्र संख्या-349/8-3-2012-12पुन/2010 दिनांक 30.01.2012 के क्रम में पूर्व में मे0 अवध इण्डस्टीज की भूमि के समायोजन की शर्तों के अनुरूप मेसर्स अलीज इण्डस्ट्रियल की भूमि खसरा संख्या-36स, ग्राम-विजईपुर, लखनऊ कुल क्षेत्रफल 2-0-0-0 का 50 प्रतिशत भूमि अर्थात् 1-0-0-0 को निम्नलिखित शर्तों पर आवंटित/समायोजित करने हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किया गया:-

1. मे0 अलीज इण्डस्टीज को उनकी कुल भूमि के बदले 50 प्रतिशत भूमि अर्थात् 1-0-0-0 (एक बीघा) भूमि समायोजन में दी जायेगी।
2. मे0 अलीज इण्डस्टीज द्वारा भूमि का प्रतिकर प्राप्त नहीं किया जायेगा तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का मूल्य पक्ष से नहीं लिया जायेगा।
3. मे0 अलीज इण्डस्टीज द्वारा समायोजित भूमि का विकास शुल्क वर्तमान दर पर प्राधिकरण कोष में जमा किया जायेगा।
4. मे0 अलीज इण्डस्टीज द्वारा यदि भूमि बेची जायेगी तो लीज डीड प्राधिकरण द्वारा सम्पादित की जायेगी।
5. मे0 अलीज इण्डस्टीज द्वारा अनुबन्ध से पूर्व सीलिंग

अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा।

6. मे0 अलीज इण्डस्टीज द्वारा यदि कोई वाद दायर किया गया है, तो उसे न्यायालय से वापस लेना होगा।

7. स्थल का विभाजन/ले-आउट के समय यह सुनिश्चित किया जाये कि सामने/फ्रंटेंज का आधा भाग प्राधिकरण व आधा भाग मे0 अलीज इण्डस्टीज के पक्ष में हो।

विषय संख्या : 17

ग्राम सालेह नगर में लाइसेंस के आधार पर भूमि विकसित करने हेतु प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिनांक 23.02.2007 को दी गयी सैद्धान्तिक सहमति/अनुपालन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव अवलोकित किया गया।

विषय संख्या : 18

मेसर्स ओमेक्स लि0 द्वारा ग्राम-सरसवां में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड टाउनशिप के विकास हेतु भूमि अधिग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा मेसर्स ओमेक्स लि0 द्वारा प्रस्तावित इंटीग्रेटेड टाउनशिप योजना हेतु ग्राम-सरसवां, परगना तहसील व जिला-लखनऊ में 11.112 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के सम्बन्ध में प्रस्ताव इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया कि जब मे0 ओमेक्स लि0 द्वारा शासनादेश दिनांक 21.05.2005 के अनुसार 60 प्रतिशत भूमि क्रय/असेम्बल कर ली जायेगी, तदुपरान्त भूमि-अर्जन का प्रस्ताव जिलाधिकारी को संदर्भित किया जायेगा।

विषय संख्या : 19

उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए भूमि-अर्जन एवं विकासकर्ता मेसर्स ओमेक्स लि0 द्वारा अपने ओमेक्स 'इंटीग्रेटेड टाउनशिप' में पूर्व प्रस्तावित अवस्थापना सुविधाओं में संशोधन के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा तकनीकी समिति की संस्तुति दिनांक 23.09.2013 के क्रम में पूर्व स्वीकृत विन्यास मानचित्र में प्राविधानित 200 ईकाई प्रति हे0 जनसंख्या घनत्व को 300 ईकाई प्रति हे0 जनसंख्या घनत्व में संशोधित किये जाने एवं तदनुसार बढ़ी हुई जनसंख्या हेतु वांछित अवस्थापना सुविधाओं के संशोधन पर स्वीकृति प्रदान की गई। परन्तु उक्त संशोधनों को डी0पी0आर0 कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

विषय संख्या : 20

राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा दारुलसफा परिसर हजरतगंज, लखनऊ में प्रस्तावित सचिवालय (कार्यालय), भवन निर्माण से सम्बन्धित मानचित्र में उपविधि के मानकों तथा शुल्कों में छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उ०प्र० शासन द्वारा दारुलसफा, हजरतगंज लखनऊ परिसर में प्रस्तावित सचिवालय (कार्यालय भवन) के मानचित्र में प्रस्तावित भवन की ऊँचाई के प्रतिबन्ध, सेटबैक पर प्रस्तावित निर्माण तथा सशर्त अनुमन्य उपयोग के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रभाव शुल्क सहित समस्त शुल्कों में छूट तथा मानचित्र पर अनापत्ति के साथ प्रस्ताव शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 21

मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० के हाईटेक टाउनशिप (3530 एकड़) सुशांत गोल्फ सिटी के स्वीकृत डी०पी०आर० मानचित्र में प्रस्तावित भू-उपयोगों के अंश भू-उपयोग के स्वेपिंग के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय :

प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित भू-उपयोगों के अंश भू-उपयोग के स्वेपिंग पर विचार हेतु इस हेतु निर्धारित डी०पी०आर० कमेटी की संस्तुतियों सहित आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

विषय संख्या : 22

मानसरोवर योजना विस्तार, सेक्टर-ओ के अन्तर्गत प्रस्तावित 4000 वर्गमी० के ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड की अनुपलब्धता पर "हास्पिटल" हेतु आरक्षित भूमि में "आवासीय" भूखण्ड के सृजन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा मानसरोवर योजना विस्तार, सेक्टर-ओ के अन्तर्गत 8000 वर्ग मी० हास्पिटल हेतु आरक्षित भूखण्ड में से प्रस्तावित 4000 वर्गमी० के ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के सृजन से सम्बन्धित तलपट मानचित्र में संशोधन से सम्बन्धित प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 23

भूमि खसरा सं०-173 ग्राम-मलेशेमऊ क्षेत्रफल 3381 वर्गमी०, समायोजित भूमि, के सम्बन्ध में मा० लोकायुक्त द्वारा दिनांक 08.4.2011 को दिये गये निर्देश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि यह परीक्षण कर लिया जाय कि प्रश्नगत भूमि पर पक्ष का स्वत्व स्थापित होता है अथवा

नहीं, यदि भूमि पर पक्ष का स्वत्व स्थापित होता है, तो भूमि के बदले नियमानुसार पक्ष को अर्जनोपरान्त प्रतिकर का भुगतान किया जा सकता है। यदि भूमि पर स्वत्व स्थापित नहीं होता है, तो भूमि का नियमानुसार पुर्नग्रहण/हस्तांतरण किया जायेगा।

विषय संख्या : 24

गोमती नगर विस्तार योजना, गोमती नगर विस्तार योजना भाग-1ए व उजरियांव आवासीय योजना भाग-1, 2 व 3 में अधिग्रहण से प्रभावित कृषकों को जीविकोपार्जन के वैकल्पिक व्यवस्था हेतु व्यावसायिक प्लेटफार्म आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर विस्तार योजना (ग्राम-मकदूमपुर, जुराखनपुरवा व मलेसेमऊ) के अन्तर्गत प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिनांक 31.08.2012 में जीविकोपार्जन के वैकल्पिक उपाय हेतु प्लेटफार्म उपलब्ध कराये जाने हेतु लिये गये निर्णय के क्रम में गोमती नगर विस्तार योजना भाग-1ए तथा उजरियांव आवासीय योजना भाग-1, 2 व 3 के किसानों को भी अन्य योजनाओं यथा सीतापुर रोड योजना, कानपुर रोड योजना की भांति किसानों को जीविकोपार्जन के वैकल्पिक उपाय हेतु प्लेटफार्म आवंटित किये जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 25

हरदोई रोड योजना (बसंतकुंज) के अन्तर्गत नजूल भूमि जिसका अर्जन राजस्व अभिलेखों में भूमिधरी अंकित होने के कारण कर लिया गया था, के प्रभावित काश्तकारों को योजना के क्रियान्वयन के हित में अनुग्रह राशि (Ex-gratia amount) दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

समयाभाव के कारण प्रस्ताव स्थगित किया गया।

विषय संख्या : 26

लखनऊ विकास प्राधिकरण के स्वामित्व के सामुदायिक केन्द्रों/स्थलों के आरक्षण में सेवारत विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों की भांति सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को भी छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के स्वामित्व के सामुदायिक केन्द्रों/स्थलों के आरक्षण में सेवारत विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों की भांति सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों के वैवाहिक कार्यक्रम के आयोजन हेतु आरक्षण कराने पर सेवारत कर्मचारियों/अधिकारियों की भांति छूट तभी अनुमन्य होगी, जबकि प्रभारी अधिष्ठान द्वारा सेवापुस्तिका में

उल्लिखित लाभार्थियों के विवरण से मिलान करके यह प्रमाण पत्र दिया जाये कि प्रार्थी वास्तव में प्राधिकरण से सेवानिवृत्त कर्मों का पुत्र अथवा पुत्री है।

विषय संख्या : 27

श्री के0पी0 गुप्ता, अवर अभियन्ता की नई दिल्ली स्थित मैक्स हेल्थ केयर में टोटल हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेन्ट पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

निर्णय :

श्री के0पी0 गुप्ता, अवर अभियन्ता की नई दिल्ली स्थित मैक्स हेल्थ केयर में टोटल हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेन्ट पर व्यय की गयी धनराशि रु0 2,94,076/- के प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय संख्या : 28

भूखण्ड संख्या-2, रफी अहमद किदवाई नगर (एलडिको ग्रीन) के भू-उपयोग को स्वीकृत तलपट मानचित्र में पेट्रोल पम्प से व्यावसायिक में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

पक्ष को प्रश्नगत भूखण्ड नगर निगम द्वारा एक विशिष्ट कार्य-कलाप अर्थात् पेट्रोल पम्प हेतु लीज पर आवंटित किया गया था। भूमि का स्वामित्व वर्तमान में भी नगर निगम में निहित है। अतः पूर्व में निरस्त किये गये प्रस्ताव पर पुनर्विचार का कोई औचित्य न पाये जाने के कारण प्रस्ताव निरस्त किया गया।

विषय संख्या : 29

लखनऊ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा निर्धारित अवधि के लिए पट्टे पर दिये गये भूखण्डों को बिना नवीनीकरण कराये मूल पट्टेदार या उनके उत्तराधिकारियों द्वारा पट्टा अवधि में विक्रय कर दिये जाने के बाद क्रेता के पक्ष में नामान्तरण/पट्टे के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहनति व्यक्त करते हुए यह निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के आवंटियों के सम्बन्ध में यह विवरण (डाटाबेस) एकत्र कर लिया जाये कि कितने पट्टे प्रीमियमयुक्त किये गये हैं तथा कितने बिना प्रीमियम के हुए हैं। उक्त विवरण के साथ आगामी बैठक में पुनः विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।

५६




विषय संख्या : 30

मे0 श्री कोलोनाइजर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा ग्राम-भसण्डा, मोहनलालगंज, लखनऊ पर 51.695 हे0 भूमि पर प्रस्तावित तलपट मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि चूंकि अभी लखनऊ विस्तारित क्षेत्र के मास्टर प्लान एवं जोनल प्लान को अंतिम रूप दिये जाने की प्रक्रिया गतिमान है, अतः मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिये जाने के उपरान्त प्रस्ताव पुनः विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

विषय संख्या : 31

भूखण्ड संख्या-17-21 तथा 43-47 मोहल्ला-कर्बला, आगामीर, रामतीरथ मार्ग, नरही, हजरतगंज, लखनऊ 37700 वर्गफुट भूमि को महायोजना-2021 में त्रुटिवश अंकित भू-उपयोग 'पार्क एवं खुला स्थल/हरित पट्टी' को लखनऊ महायोजना-2001 के प्रस्ताव के अनुरूप 'आवासीय' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय :

प्रकरण हरित पट्टी के भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित होने के कारण पूर्व में जिलाधिकारी के स्तर से रिपोर्ट प्राप्त करने के निर्देश दिये गये थे। चूंकि जिलाधिकारी स्तर से अभी भी आख्या प्राप्त नहीं हुई है। अतः जिलाधिकारी, लखनऊ से आख्या प्राप्त होने के उपरान्त प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

विषय संख्या : 32

कानपुर रोड आवासीय योजना में एकल सिनेमा के भूखण्ड पर सर्विस अपार्टमेंट बनाये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा कानपुर रोड आवासीय योजना में एकल सिनेमा के भूखण्ड का भू-उपयोग परिवर्तन समूह आवास प्रयोजन हेतु उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 में निहित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 33

श्री भगवती प्रसाद दीक्षित को पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना नीति के अन्तर्गत 75 वर्ग मी0 का भूखण्ड निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

श्री भगवती प्रसाद दीक्षित को पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना नीति के अन्तर्गत निःशुल्क आवंटित किये गये भूखण्ड संख्या-1/713-ओ0 से सम्बन्धित प्रस्तुत प्रस्ताव अवलोकित किया गया।

विषय संख्या : 34

यू0पी0 विद्यालय प्रबन्धक एसोसियेशन व अन्य बनाम यू0पी0 द्वारा नगर में संचालित विद्यालयों को नियमितीकरण के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि भिन्न-भिन्न स्थानों पर निर्धारित मानक के विपरीत निर्मित विद्यालयों को भवन उपविधि के मानकों में किस् सीमा तक छूट प्रदान की जा सकती है, के निर्धारण हेतु सचिव, ल0वि0प्रा0 की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे:-

1. मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक अथवा उनके प्रतिनिधि
2. संयुक्त निदेशक, शिक्षा
3. मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0 (संयोजक)

उक्त समिति अपनी संस्तुतियों से पूर्व प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए अपनी संस्तुति आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करेंगी।

विषय संख्या : 35

बस स्टेशनों के विकास हेतु प्राधिकरण में प्रवृत्त भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के संशोधन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा शासनादेश संख्या-1668/8-3-13-04एल0यू0सी0/2010 दिनांक 20.07.13 एवं शासनादेश संख्या-2304/8-3-13-04एल0यू0सी0/2010 दिनांक 31.10.13 के क्रम में 'सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पी0पी0सी0)' के आधार पर विकसित किये जाने वाले बस-स्टेशनों के विकास हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में प्रस्तावित संशोधनों के अंगीकरण के साथ, शहर के समस्त प्रकार के बस-स्टेशनों में भी प्रस्तावित संशोधनों को लागू करने से सम्बन्धित प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 36

रश्मि खण्ड शारदा नगर योजना के अन्तर्गत "फैसिलिटी" भू-उपयोग हेतु आरक्षित भूखण्ड में से 04 "आवासीय" भू-उपयोग के भूखण्ड सृजन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त शारदा नगर योजना के रश्मि खण्ड के अन्तर्गत आरक्षित 'फैसिलिटी' उपयोग की 3750 वर्ग मी0 भूमि में से 300 वर्ग मी0 के 04 'आवासीय' भूखण्ड का सृजन कर आवंटियों को समायोजित करने तथा अवशेष लगभग 2540 वर्ग मी0 भूमि को ले-आउट में दर्शित 'फैसिलिटी' उपयोग भूमि से

7




सम्बन्धित प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्देश दिये गये कि उक्त भूखण्डों को सम्मिलित करते हुए एक संशोधित ले-आउट तैयार कर उसे मूल ले-आउट में भी दर्शित किया जाये।

विषय संख्या : 37

लखनऊ महायोजना-2021 में 'मनोरंजनात्मक' भू-उपयोग हेतु निर्धारित जोनिंग रेगुलेशन के प्रस्तावों में संशोधन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा लखनऊ महायोजना-2021 में 'मनोरंजनात्मक' भू-उपयोग हेतु निर्धारित जोनिंग रेगुलेशन के प्रस्तावों में हरित पट्टी भू-उपयोग में अनुमन्य क्रियाओं को मनो-1 (पी-1) में सम्मिलित करते हुए जोनिंग रेगुलेशन से हरित पट्टी समाप्त किये जाने हेतु संशोधन से सम्बन्धित प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 38

मानचित्र स्वीकृति के समय मैकेनाईज्ड पार्किंग को स्थल पर सुनिश्चित किये जाने हेतु शपथ-पत्र के साथ जमा कराये जाने वाली प्रतिभूति धनराशि निर्धारण के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्रकरण पर विचार हेतु सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसमें मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0 संयोजक नदस्य एवं मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0 सदस्य होंगे। उक्त समिति प्रभावित पक्षों को भी सुनवाई हेतु आमंत्रित करेगी। सुनवाई के उपरान्त समिति की संस्तुति के दृष्टिगत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

विषय संख्या : 39

मो0 हसनगंज आई0टी0 चौराहा, फैजाबाद रोड स्थित नजूल भूखण्ड संख्या-1056 एवं 1059 की "पार्किंग" भू-उपयोग की भूमि के भू-उपयोग को "व्यावसायिक" उपनगर केन्द्र में महायोजना में आंशिक संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहनति प्रदान करते हुए यह निर्णय लिया गया कि कुल व्यावसायिक उपयोग हेतु अनुमन्य तल क्षेत्रफल के 25 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत तल क्षेत्रफल को व्यावसायिक/कार्यालय उपयोग में अनुमन्य करते हुए बोर्ड की संस्तुति शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित की जाये।

विषय संख्या : 40

गोमती नगर योजना के विराम खण्ड के तल्पट मानचित्र में आवासीय भूखण्ड सं0-4/446 से 4/449 तक को समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय :

समयाभाव के कारण प्रस्ताव स्थगित किया गया।

विषय संख्या : 41

प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्तमान समय में मिल रहे चिकित्सा भत्ते की दर में संशोधन किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव।

निर्णय :

प्रस्ताव निरस्त किया गया।

विषय संख्या : 42

श्री शिव प्रताप सिंह चौहान, अवर वर्ग सहायक की स्वयं की चिकित्सा पर व्यय की गयी धनराशि रुपये-4,07,567.58 के भुगतान की स्वीकृति विषयक।

निर्णय :

श्री शिव प्रताप सिंह चौहान, अवर वर्ग सहायक की स्वयं की चिकित्सा पर व्यय की गयी धनराशि रु0 4,07,567.58/- के प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय संख्या : 43

श्री अनन्त राम व अन्य द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल रिट याचिका सं0-2978(एम.बी.)/2001 में पारित आदेश दिनांक 16.12.2011 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय से आच्छादित पक्षों को सम्यक् रूप से 3200 वर्ग फिट का एक भूखण्ड समायोजित कर दिया जाये। अवशेष 14 भूखण्डों के निस्तारण के सम्बन्ध में केस-टू-केस गुण-दोष के आधार पर सक्षम स्तर से निर्णय लिया जाये।

विषय संख्या : 44

कपूरथला एवं आस-पास के क्षेत्र हेतु सेक्टर-एफ, अलीगंज में मल्टीलेवल पार्किंग सह पार्क के निर्माण के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा अलीगंज सेक्टर-एफ में भूखण्ड संख्या-सी 24-25 के सम्मुख स्थित पार्क पर लोवर एवं अपर बेसमेन्ट में मल्टीलेवल पार्किंग बनाते हुए उसके ऊपर पार्क विकसित किये जाने के सम्बन्ध में जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 45

प्राधिकरण की गोमती नगर योजना के अन्तर्गत विक्रान्त खण्ड-3 में फैजाबाद मुख्य मार्ग पर 12439.29 वर्गमी० भूमि के भू-उपयोग को 'बस अड्डा सह बजट होटल' के निर्माण हेतु 'आवासीय' से 'यातायात एवं परिवहन, बस अड्डा' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा फैजाबाद मार्ग पर स्थित विक्रान्त खण्ड-3, गोमती नगर में बस अड्डे के लिए आरक्षित 12439.29 वर्ग मी० भूखण्ड का भू-उपयोग बस अड्डा, सहबजट होटल के निर्माण हेतु आवासीय उपयोग से यातायात एवं परिवहन, बस अड्डा भू-उपयोग में परिवर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु शासन को प्रेषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 46

तहसील बक्शी का तालाब, सीतापुर रोड के अन्तर्गत ग्राम-नबीकोट नन्दना के खसरा संख्या-36स, 38 व 49 की 5.30 एकड़ (2.549 हेक्टेअर) भूमि पर विद्यमान सहारा आर्ट्स एण्ड मैनेजमेन्ट अकादमी के भूमि लखनऊ महायोजना-2021 के अन्तर्गत पार्क एवं खुले स्थल/हरित पट्टी (पी-1) से सामुदायिक सुविधाएं, उपयोगितायें एवं सेवायें (शैक्षिक) उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

समयाभाव के कारण प्रस्ताव स्थगित किया गया।

विषय संख्या : 47

जानकीपुरम विस्तार आवासीय योजना सेक्टर-3 में ट्रामा सेन्टर/अस्पताल के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि शासन के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से ट्रामा सेन्टर/अस्पताल के निर्माण हेतु मांग पत्र प्राप्त होने के उपरान्त समस्त बिन्दुओं का सनावेश करते हुए विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

विषय संख्या : 48

शारदा नगर योजना के अन्तर्गत रतन खण्ड में (अम्बेडकर बस्ती) निकट महाराजा बिजली पासी किला चौराहा, बंगला बाजार लखनऊ स्थित प्राधिकरण की भूमि पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर निवास करने वाले व्यक्तियों को बी०एस०यू०पी० योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन भवनों में समायोजन किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

समयाभाव के कारण प्रस्ताव स्थगित किया गया।

विषय संख्या : 49

लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत 18 मृतक आश्रित संविदा कर्मचारियों को वेतनमान का न्यूनतम वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

समयाभाव के कारण प्रस्ताव स्थगित किया गया।

विषय संख्या : 50

लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यालय कार्यदिवस को पाँच दिनों का किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

समयाभाव के कारण प्रस्ताव स्थगित किया गया।

विषय संख्या : 51

कानपुर रोड योजना के सेक्टर-डी-1 के एल०आई०सी० को आवंटित भूखण्ड संख्या-सी०पी०-14 एवं सी०पी०-15 को मिलाते हुए (Amalgamate) एकीकृत कर ले-आउट में दर्शित कराने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त कानपुर रोड योजना के सेक्टर-डी-1 के एल०आई०सी० को आवंटित भूखण्ड संख्या-सी०पी०-14 एवं सी०पी०-15 को मिलाते हुए (Amalgamate) एकीकृत कर ले-आउट में दर्शित किये जाने से सम्बन्धित प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

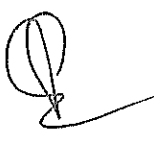
विषय संख्या : 52

लखनऊ विकास प्राधिकरण की अलीगंज योजना के सेक्टर-एन में भूखण्ड संख्या-एस०एस०-504ए, भू-उपयोग 'व्यावसायिक' से 'आवासीय' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में यह देखते हुए कि आवंटी एक अल्प आय वर्गीय व्यक्ति है एवं प्रश्नगत भूखण्ड पर ही वर्ष 1986 से

75




झोपड़ी डालकर रह रहा है, इसे दृष्टिगत रखते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण की अलीगंज योजना के सेक्टर-एन में भूखण्ड संख्या-एस0एस0-504ए, भू-उपयोग 'व्यावसायिक' से 'आवासीय' में परिवर्तित किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 53

प्राधिकरण के अभियन्त्रण कार्यों के ठेकों में ई-टेंडरिंग व्यवस्था लागू किया जाना, निविदा प्रपत्रों का अनुमोदन एवं निविदा मूल्य के निर्धारण विषयक।

निर्णय :

समयाभाव के कारण प्रस्ताव स्थगित किया गया।

विषय संख्या : 01
(भाग-2)

उ0प्र0 के नगरीय क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं हेतु भूमि अर्जन एवं विकास की नीति (इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति) के अन्तर्गत मे0 ए0एन0एस0 डेवलपर्स प्रा0लि0 (मे0 ए0एन0एस0 कान्स0लि0 का परिवर्तित लीड मेम्बर) द्वारा प्रस्तुत संशोधित डी0पी0आर0/ले-आउट (212.705 एकड़) दिनांक 11.12.2013 को स्वीकृत करने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 शासन की इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत विकासकर्ता मेसर्स ए0एन0एस0 डेवलपर्स प्रा0लि0 (मे0 ए0एन0एस0कान्स0लि0 का परिवर्तित लीड मेम्बर) द्वारा प्रस्तुत संशोधित डी0पी0आर0 दिनांक 11.12.2013 पर डी0पी0आर0 समिति द्वारा उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रस्तुत संस्तुतियों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय संख्या : 02
(भाग-2)

गोमती नगर योजना के विक्रान्त खण्ड के भूखण्ड संख्या-सी0एफ0-2 के "सामुदायिक सुविधाओं" उपयोग के भूखण्ड को "होटल" उपयोग में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि गोमती नगर योजना के विक्रान्त खण्ड में 60 मी0 चौड़े मार्ग पर प्रस्तावित फैसिलिटीज के भूखण्ड संख्या-सी0एफ0-2 के "सामुदायिक सुविधाओं" उपयोग को "होटल" उपयोग में परिवर्तन किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव को मार्गदर्शन हेतु शासन को संदर्भित किया जाये।

74



विषय संख्या : 03

(भाग-2)

निर्णय :

लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्तमान समय में मिल रहे वाहन भत्ते की दरों में संशोधन का प्रस्ताव।

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्तमान समय में मिल रहे वाहन भत्ते की दरों में संशोधन करते हुए समूह-‘ग’ के कर्मचारियों को ₹0 700 प्रतिमाह के स्थान पर ₹0 800 एवं समूह-‘घ’ के कर्मचारियों को ₹0 300 प्रतिमाह के स्थान पर ₹0 350 की दर से वाहन भत्ता दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 04

(भाग-2)

निर्णय :

लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत स्व0 श्री श्याम प्रकाश त्रिवेदी, अवर वर्ग सहायक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

स्व0 श्याम प्रकाश त्रिवेदी, अवर वर्ग सहायक की स्वयं की चिकित्सा पर व्यय की गयी धनराशि ₹0 5,18,415/- में से ₹0 3,25,300/- को समायोजित करते हुए शेष ₹0 1,93,115/- श्रीमती साधना त्रिवेदी पत्नी स्व0 श्याम प्रकाश त्रिवेदी को भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय संख्या : 05

(भाग-2)

निर्णय :

भूखण्ड संख्या-64 मौजा-खरगपुर, फरीदीनगर, लखनऊ के भू-उपयोग ‘पार्क एवं खुले स्थल/हरित पट्टी’ से ‘आवासीय’ में किये जाने के सम्बन्ध में।

सम्यक् विचारोपरान्त प्रकरण पर पुनर्विचार का औचित्य नहीं पाया गया।

विषय संख्या : 06

(भाग-2)

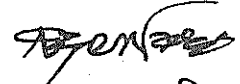
निर्णय :

विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित विभिन्न योजनाओं में प्रस्तावित फैसिलिटी के भूखण्डों के सम्बन्ध में।

सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की विकसित कालोनियों के अन्तर्गत आरक्षित एवं आवंटन से रिक्त फैसिलिटी भूखण्डों को (बिना भू-उपयोग परिवर्तन के) महायोजना जोनिंग रेग्युलेशन के अन्तर्गत ‘सामुदायिक सुविधायें, उपयोगितायें एवं सेवाओं (फैसिलिटी)’ में अनुमन्य विभिन्न क्रियाओं को अलग-अलग

क्रियाओं में स्पेसिफिक क्रिया के फैसिलिटी भूखण्ड के रूप में निर्धारित करते हुए भवन उपविधि के मानक के अनुसार निर्धारित भू-आच्छादन एवं एफ0ए0आर0 के अनुरूप नीलामी के द्वारा आवंटन किये जाने का अधिकार उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 को प्राधिकृत किये जाने से सम्बन्धित प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।


(अष्टभुजा प्रसाद तिवारी)
सचिव


(एम0पी0 अग्रवाल)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित


(संजीव सरन)

अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।